आदिनाथ भवन के आरक्षण हेतु आवेदन पत्र
सेवामें,
श्रीमान् प्रभारी महोदय, आदिनाथ भवन, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर
विषय : आदिनाथ भवन के आरक्षण हेतु
मान्यवर महोदय,
निवेदन है कि मुझे / हमें मन्दिर जी के आदिनाथ भवन का धरातल / प्रथम तल / द्वितीय तल का निम्न कार्य हेत्
दिनांक से से तक आवश्यकता है । मेरा / हमारा पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है –
1. आवेदक का नाम श्री
2. पिता का नाम श्री
3. स्थायी पता
4. दूरभाष संख्या मोबाईल सं
5. दो परिचित सदस्यों के नाम मय पते व दूरभाष संख्या —
(1) 위
(2) 剁
6. कार्यक्रम का विवरण — सगाई / जन्म दिवस समारोह / अन्य
7. कार्यक्रम की दिनांक व्यक्तियों की संख्या
(1) धरातल (2) प्रथम तल
(3) द्वितीय तल
8. भवन के आरक्षण करने की तिथि एवं समय
मैंने / हमने संस्था के सभी नियमों को जो इस आवेदन पत्र के पीछे की तरफ लिखे हुए हैं, पूरे ध्यान से पढ़ लिये हैं, मैं / हम इनका पूर्ण पालन करूंगा / करेंगे । मैं / हम आदिनाथ भवन की बिजली / पानी के खर्चे एवं टूट—फूट के लिए आपके नियमानुसार निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने के लिए तैयार हैं। कृपया उपर्युक्त वर्णित स्थान क उपभोग करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रहित करें।
आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
कार्यालय की टिप्पणी

प्रभारी आदिनाथ भवन श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, महारानी फार्म, जयपुर

आदिनाथ भवन के आरक्षण सम्बन्धी नियम

- 1. आदिनाथ भवन परिसर में मांस, मदिरा, अभक्ष भोजन, धूम्रपान का सेवन एवं जुओं खेलना वर्जित है। आवेदक द्वारा इसके विपरीत काम करने पर इन कार्यों को बन्द कराने का व्यवस्थापक को पूर्ण अधिकार होगा। नियम विरुद्ध कार्य करने पर आरक्षण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा आरक्षण एवं जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 2. आदिनाथ भवन में लगे बिजली के उपकरण, बाथरूम, वाश बेसिन, फर्नीचर एवं खुले स्थान के आरक्षण अवधि में रख—रखाव की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की रहेगी। अगर कोई क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की राशि (अध्यक्ष / मंत्री द्वारा निर्धारित) आवेदनकर्ता को वहन करनी होगी।
- 3. आवेदनकर्ता आरक्षित क्षेत्र को सम्भालते समय उसमें लगे हुए स्थायी सामान को संभालकर लेंगे तथा खाली करते समय उसी अवस्था में वापस व्यवस्थापक को सम्भालकर जायेंगे।
- 4. आरक्षित क्षेत्र के उपयोग के दौरान सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की स्वयं की होगी।
- 5. आरक्षण होने के बाद आवेदनकर्ता द्वारा आरक्षित स्थान को अन्य किसी को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 6. जल व्यवस्था संस्था द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही की जायेगी। यदि किसी कारण से भवन में उपलब्ध जल व्यवस्था कार्य नहीं कर पाती है तो आवेदनकर्ता को स्वयं के खर्चे पर वैकल्पिक जल व्यवस्था करनी होगी।
- 7. आदिनाथ भवन के आरक्षण का अधिकार अध्यक्ष / मंत्री / प्रभारी को होगा तथापि जब तक पूर्ण राशि जमा नहीं जो पाती है आरक्षण प्रभावहीन होगा।
- 8. आरिक्षत क्षेत्र का उपयोग प्रथम दिन प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होकर दूसरे दिन प्रातः 8 बजे तक समझा जावेगा। इस प्रकार दिनों की गणना की जायेगी। आरिक्षत स्थान को निर्धारित समय पर खाली करना अनिवार्य है। उपयोगर्ता द्वारा आरक्षण दिवस से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक अपना सामान वापिस नहीं लिया जाकर खाली नहीं किया जाता है तो व्यवस्थापक को नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आदिनाथ भवन के लिए सहयोग राशि निम्न प्रकार होगी —

(1) धरातल किराया प्रतिदिन — 3100 / —

(2) प्रथम तल किराया प्रतिदिन — 4100 / —

(3) द्वितीय तल किराया प्रतिदिन — 3100/—

(नोट- उपरोक्त सभी लेने पर एक मुश्त किराया रु० 8500 / -)

(4) सफाई शुल्क प्रतिदिन — 500 /—

(5) विद्युत शुल्क — 15 / — प्रति यूनिट (रु. 1000 अग्रिम)

(6) लिफ्ट प्रतिदिन – 500 / – (काम में लेने पर)

- 9. विद्युत आपूर्ति में आकरिमक व्यवधान आने पर या तकनीकी खराबी हो जाने की व्यवस्था में यदि विद्युत उपलब्ध नहीं होती है तो उसके लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।
- 10. आदिनाथ भवन में हुई किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 11. आरक्षण 15 दिवस पूर्व निरस्त कराये जाने पर 75 प्रतिशत एवं 15 दिवस की अवधि में निरस्त कराये जाने पर 50 प्रतिशत राशि ही लौटायी जायेगी।
- 12. विशेष परिस्थिति में यदि आरक्षणकर्ता तिथियों में परिवर्तन चाहता है और चाही गई तिथियों में आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आरक्षण निरस्त किये जाने की स्थिति में आरक्षण तिथियों में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 13. आरक्षण के सम्बन्ध में उठाये गये हर प्रकारण / विवाद पर अध्यक्ष / मंत्री का निर्णय अन्तिम व सर्वोपरि होगा।
- 14. राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार ही लाउड स्पीकर / डेक का उपयोग किया जा सकेगा।
- 15. प्याज एवं लहसुन का पूर्णतः निषेध रहेगा।
- 16. भवन में (तीनों स्थान पर) चप्पल जूते पहनकर जाने पर पूर्णतः निषेध रहेगा।